

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । आइटम नंबर 3 से 5.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3755/17/21]

- (2) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3756/17/21]

- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3757/17/21]

- (ख) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3758/17/21]

- (5) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 45 की उप-धारा (2) के अंतर्गत

अधिसूचना सं. सीए-31037/5/2019-सीए/पीएनजी, जो दिनांक 9 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3759/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3760/17/21]

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021, जो 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3761/17/21]

- (4) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य संचालन के बारे में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020, जो 26 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीसीआई/सीडी/संशोधन/संयोजन विनियम/2020 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3762/17/21]

- (5) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 399(अ) जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3763/17/21]

- (6) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. आईसीएसआई सं. 01, जो 23 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो संस्थान की परिषद के सदस्य के त्यागपत्र के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3764/17/21]

- (7) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण) संशोधन योजना, 2021, जो 9 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 611(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3765/17/21]

- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3766/17/21]

- (9) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 3767/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

[Placed in Library, See No. LT 3768/17/21]

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 के लिए निर्गत परिणामी रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 3769/17/21]

17.04 hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Prof. Sougata Ray, Dr. T.Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

17.05 hrs